



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PIO/RTI/102/14

Date: 12.06.2014

Ms. Nisha Gupta,

H.I.G.-12, Avantika Phase-II,
Ramghat Road, Aligarh-202001.

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref: 1. Your application dt. 21.04.2014, received on 23.04.2014.
2. Your appeal dt.26.05.2014, received on 27.05.2014

उपरोक्त विषय पर आपकी अपील का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद इस कार्यालय की टिप्पणी निम्नलिखित है:-

1. ग्राम-रुस्तमपुर सकत खां, तहसील- कोल के खसरा संख्या-137 व 138 का अधिग्रहण डी.एफ.सी. सी.आई.एल. की विशेष रेल परियोजना हेतु किया जा रहा है। अधिग्रहण/भूमि अर्जन की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) अलीगढ़ द्वारा की जा रही है, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित जानकारी (सूचना) कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) अलीगढ़ में उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित जानकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) अलीगढ़ से प्राप्त की जा सकती है। अतः आरटीआई एक्ट के सैक्शन 6(3) के अन्तर्गत आपका आवेदन पीआईओ/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) अलीगढ़ को हस्तारण किया जाता है। गाटा संख्या-133 की भूमि डी.एफ.सी.सी.आई.एल. की विशेष रेल परियोजना में अधिग्रहीत नहीं की जा रही है।
2. आपके आवेदन में अंकित प्लॉटों की अधिग्रहीत भूमि के नक्शे की प्रति डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के अलीगढ़ कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
- 3 व 4. अधिग्रहण की पूर्ण कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) अलीगढ़ द्वारा की गयी है, इससे सम्बन्धित जानकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) अलीगढ़ से प्राप्त की जा सकती है। अतः आरटीआई एक्ट के सैक्शन 6(3) के अन्तर्गत आपका आवेदन पीआईओ/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) अलीगढ़ को हस्तारण किया जाता है।
5. रेलवे परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर की धनराशि रेल विभाग द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अलीगढ़ के खाते में जमा करा दी गयी है, तथा प्रतिकर वितरण का कार्य विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा किया जाना है।
6. मुआवजे के भुगतान में विलम्ब का कारण एवं अन्य जानकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सं.सं. अलीगढ़ से प्राप्त की जा सकती है। अतः आरटीआई एक्ट के सैक्शन 6(3) के अन्तर्गत आपका आवेदन पीआईओ/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) अलीगढ़ को हस्तारण किया जाता है।

अतः आपकी अपील का निवारण किया जाता है।

DESPATCH
13/6

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:

1. PIO/Special LAO/Aligarh- Enclosed please find herewith, an application of Ms. Nisha Gupta, R/o Aligarh, transferred u/s 6(3) under RTI Act. After going through, it is found that the subject matter in the item no.1, 3, 4 & 6 of the application is closely connected with the function of Special LAO/Aligarh. Please provide the information to the applicant within the stipulated time.
2. CPM/Aligarh, to kindly send the letter to SLAO/Aligarh on its proper address.